

नम्बर व तारीख
रकाम जो
श्री तारीख

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

निगरानी / टीए / 5465 / 2011 / अजमेर

1. रतनलाल पुत्र किशनलाल बुगालिया निवासी संजय स्कूल के पास, आजाद नगर, तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
2. हीरालाल पुत्र किशनलाल बुगालिया निवासी तुलसी भवन के पास, आजाद नगर, तहसील किशनगढ जिला अजमेर।

....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती केशरदेवी पुत्री किशनलाल पत्नि श्रीराम गोडेश्वर जाति भांभी निवासी दरगाह धर्मशाला के पास, शिवाजी नगर, तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
2. सूरजमल पुत्र किशनलाल बुगालिया निवासी बृज कोलोनी रेल्वे लाईन के बाहर, अजमेर रोड़, तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ, जिला अजमेर

....अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री मूलचन्द्र मीणा, सदस्य

उपस्थिति:-

श्री अनिल शर्मा वास्ते प्रार्थीपक्ष

श्री शोकिन्दलाल गूर्जर वास्ते अप्रार्थीपक्ष

दिनांक : 23/8/2011

निर्णय

1. धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (जिसे एतदपश्चात 'अधिनियम' कहा गया है) के तहत विचाराधीन हस्तगत निगरानी प्रार्थनापत्र उपखण्ड अधिकारी किशनगढ (जिसे एतदपश्चात 'अधीनस्थ न्यायालय' कहा गया है) के आदेश दिनांक 15-07-2011 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

2. निगरानी प्रार्थनापत्र के तथ्यों का सारांश इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 /वादिया श्रीमती केशरदेवी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अधिनियम की धारा 53 एवं 188 के तहत वर्तमान प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 विरुद्ध वास्ते जोत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसका जवाब दावा प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण वाद को अस्वीकार करते हुये प्रस्तुत किया गया। वाद के विचाराधीन रहते हुये प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के तहत प्रस्तुत कर जवाबदावे में संशोधन करने का अनुरोध किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुन कर उक्त प्रार्थनापत्र जरिये आदेश दिनांक 15-07-2011 को अस्वीकार कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 15-07-2011 से व्यथित

23/8/11

हो कर प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत निगरानी प्रार्थनापत्र राजस्व मण्डल न्यायालय में पेश किया गया है।

3. निगरानी प्रार्थनापत्र में प्रार्थीगण का अभिकथन है कि वादिया/ अप्रार्थी श्रीमती केसरदेवी ने गलत तथ्यों के आधार पर अपने नाम खातेदारी दर्ज करा कर अधिनियम की धारा 53 एवं 188 के तहत दावा प्रस्तुत किया है, जबकि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के स्वर्गीय पिता श्री किशनलाल की स्वअर्जित सम्पति है और इस स्वअर्जित भूमि को स्वर्गीय श्री किशनलाल द्वारा अपने जीवन काल में ही लिखित तहरीर दिनांक 04-06-1988 द्वारा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 अर्थात् अपने तीनों पुत्रों के बीच विभाजित कर दिया था। वादिया/अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा इस आधार पर नहीं रखा गया था कि उसका विवाह आदि कर दिया गया था। इस तथ्य को न्यायालय के समक्ष लाने के लिये प्रार्थीगण द्वारा अपने जवाबदावे की मद संख्या 3 व 4 में समुचित संशोधन करने के लिये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (जिसे एतदपश्चात 'अधिनियम' कहा गया है) के आदेश 6 नियम 17 के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तरीके से खारिज कर दिया गया। इस कारण यह निगरानी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है और अनुरोध किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के निगरानी अधीन आदेश दिनांक 15-07-2011 को अपास्त किया जावे और प्रार्थीगण का आदेश 6 नियम 17 का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर जवाबदावे में संशोधन की अनुमति दी जावे।

4. केवियट प्रस्तुत होने के कारण अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये और दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण को एडमिशन के बिन्दु पर सुना गया।

5. प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक श्री अनिल शर्मा ने निगरानी प्रार्थनापत्र के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क किया कि जवाबदावे में संशोधन हेतु आदेश 6 नियम 17 के प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जावे ताकि वादिया/ अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर नामान्तकरण खुलवा कर प्राप्त की गयी खातेदारी को खारिज कराने हेतु तनकी कायम करायी जा कर, बाद सुनवाई प्रकरण का विधि सम्मत निर्णय हो सके। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आदेश 6 नियम 17 का प्रार्थनापत्र किसी भी स्तर पर लाया जा सकता है।

6. अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक श्री शोकिन्दलाल गूर्जर का तर्क है कि प्रार्थीगण द्वारा आदेश 6 नियम 17 के प्रार्थनापत्र द्वारा जवाबदावा में संशोधन हेतु जो आधार बताये हैं उनकी जानकारी अप्रार्थीगण को पहले से ही थी। अब केवल प्रकरण को विलम्बित करने के लिये यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। श्री किशनलाल का विरासतन नामान्तकरण दर्ज होकर स्वीकार किये जाने की प्रक्रिया के दौरान ही प्रार्थीगण द्वारा कथित तहरीर दिनांक 06-04-1988 के आधार पर तहसीलदार के समक्ष आपत्ति प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था। बाद सुनवाई उक्त आपत्ति प्रार्थनापत्र खारिज किया गया था। इसके अलावा प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपने जवाबदावे में भी उक्त तहरीर के आधार पर प्रतिदावा प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर तनकी संख्या 2 बनाई गयी है और इसे सिद्ध करने का दायित्व प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण का है। अतः जबकि आदेश 6 नियम 17 के विलम्बित प्रार्थनापत्र में वर्णित आधार पहले ही जवाबदावे में लिये जा चुके हे और उनके आधार पर तनकी भी बन चुकी है तो अब जवाबदावे में संशोधन हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का प्रयोजन प्रकरण को विलम्बित करने के अलावा कुछ नहीं हो

3
23/8/11

ता है। वर्तमान में दावा वादी पक्ष के साक्ष्य में है और अब जवाबदावे में ऐसे शोधन करने की अनुमति दिये जाना उचित नहीं है जो कि पहले से ही मूल जवाबदावे के साथ प्रस्तुत प्रतिदावे में है। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अभिभाषक श्री शोकिन्दलाल गूर्जर ने 2008 RRT (I).page 437, 2009 RRT (II) page 1350, 2004 DNJ (II) page 639, 2006 RRT (I) page 181, 2004 RRT (II) page 889 vkSj 2004 RRT (II) page 963 के न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का हमने ससम्मान अवलोकन किया। सभी न्यायिक दृष्टान्तों का सारांश यही है कि ऐसे तथ्यों/घटनाओं के आधार पर दावा अथवा जवाबदावा में विलम्बित संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती जो कि पहले से ही सम्बन्धित पक्षकार के ध्यान में रहे हों और जिनको पक्षकार मूल दावे/ जवाबदावे में ही आधार बना सकता था। अत्यधिक विलम्ब से और विशेषकर प्रकरण में सुनवाई प्रारम्भ होने के बाद दावे अथवा जवाबदावे में संशोधन हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थनापत्र को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये।

7. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का आदेश 6 नियम 17 निम्न प्रकार है:—

17. Amendment in pleadings.- The court may at any stage of the proceedings allow either party to alter or amend his pleadings in such manner and on such terms as may be just, and all such amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real question in controversy between the parties.

Provided that no application for amendment shall be allowed after the trial has commenced, unless the Court comes to the conclusion that in spite of the due diligence, the party could not have raised the matter before the commencement of trial.

इस प्रकार आदेश 6 नियम 17 के अनुसार न्यायालय कार्यवाही के दौरान किसी भी स्तर पर दावा/ जवाबदावा में ऐसे संशोधनों की अनुमति दी जा सकती है जो कि पक्षकारों के मध्य विवाद के वास्तविक बिन्दुओं के विशिचयन हेतु आवश्यक हों। उक्त नियम के परन्तुक के अनुसार विचारण प्रारम्भ होने के बाद संशोधन की अनुमति तभी दी जावेगी जब कि न्यायालय के निष्कर्ष अनुसार पक्षकार से अपेक्षित तत्परता के बावजूद ऐसे संशोधन का अनुरोध पूर्व में किया जाना सम्भव नहीं था। उल्लेखनीय है कि संहिता के आदेश 6 नियम 17 में परन्तुक वर्ष 2002 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया था जिसका प्रयोजन यही था कि अनावश्यक और/अथवा विलम्बित संशोधन-प्रार्थनापत्रों के द्वारा प्रकरणों के निस्तारण को विलम्बित करने की प्रवृत्ति को रोका जा सके।

8. निगरानी प्रार्थनापत्र और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 15-07-2011 का अवलोकन एवं गहन अध्ययन किया गया और उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गयी बहस एवं प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। उपरोक्त पेशाज में उल्लिखित विधिक प्रावधानों और उद्धृत किये गये न्यायिक दृष्टान्तों की रोशनी में

3
23/8/11

हस्तगत निगरानी प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु यह देखा जाना आवश्यक है कि जिस आधार पर प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावे में संशोधन का अनुरोध किया गया

है क्या वह आधार जवाबदावा प्रस्तुत करते समय प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण के ध्यान में नहीं थे और क्या चाहा गया संशोधन इस सीमा तक आवश्यक है कि उसके बिना

पक्षकारों के मध्य विवाद के वास्तविक बिन्दुओं का विशिचयन सम्भव नहीं है। निगरानी प्रार्थनापत्र और अधीनस्थ न्यायालय के निगरानी अधीन आदेश दिनांक 15-07-2011 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि:-

(1) वादिया/अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दावे का प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा दिनांक 12-07-2007 को प्रस्तुत किया गया है। उक्त जवाबदावे में भी प्रतिवादीगण/ प्रार्थीगण द्वारा कथित तहरीर दिनांक 04-08-1988 के आधार पर प्रतिदावा ;बवनदजमत बसंपउद्ध प्रस्तुत किया था और उक्त प्रतिदावे के आधार पर तनकी संख्या 2 इस प्रकार बनायी गयी है कि "आया जवाबदावे में वर्णितानुसार वादिया वाद अधीन भूमि में किसी प्रकार का हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।" इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण पर है।

(2) दावे में तनकियात दिनांक 07-06-2008 को बनायी गयी हैं और तब से दावा वादीगण की साक्ष्य में है।

(3) प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावे के संशोधन हेतु संहिता के आदेश 6 नियम 17 के तहत वर्तमान प्रार्थनापत्र 2011 में पेश किया है, जिसक निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15-07-2011 को करते हुये प्रार्थनापत्र को खारिज किया गया है।

(4) रिकॉर्ड पर आधारित उपरोक्त तथ्यों के अलावा प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थीगण की तरफ से बहस के दौरान प्रस्तुत इस तर्क का प्रतिवाद भी नहीं किया गया है कि स्वर्गीय श्री किशनलाल का विरासतन नामान्तकरण जब वादिया/ अप्रार्थी संख्या 1 सहित सभी वारिसान के नाम दर्ज कर प्रमाणित करने की कार्यवाही चल रही थी उस समय भी कथित तहरीर दिनांक 06-04-1988 को आधार बना कर प्रार्थीगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी जो कि बाद सुनवाई तहसीलदार द्वारा खारिज करते हुये वादिया/ अप्रार्थी संख्या 1 सहित सभी वारिसान के पक्ष में नामान्तकरण स्वीकार किया गया। उक्त नामान्तकरण के विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत नहीं की गयी है।

9. उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति से यह स्पष्ट है कि जिस कथित तहरीर के आधार पर प्रार्थीगण अपने जवाबदावे में संशोधन करना चाहते हैं, उक्त तहरीर की जानकारी प्रार्थीगण को पहले से ही थी। यहा तक कि प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में भी उक्त तहरीर के आधार पर प्रतिदावा प्रस्तुत किया है और उक्त प्रतिदावे के आधार पर दावे में तनकी संख्या 2 बन कर प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण के जिम्मे है। अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानी अधीन आदेश दिनांक 15-07-2011 पारित करते समय इस तथ्य पर गहनता से विचार करते हुये निष्कर्षाकन किया है कि:-


“वर्तमान में पत्रावली वादी की शहादत हेतु नियत है तथा तनकी नं. 2 को सिद्ध करने हेतु प्रतिवादीगण को भी साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जावेगा। प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. द्वारा प्रस्तुत तथ्य तनकी सं. 2 में समाहित है।”

3
23/8/11

10. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के इस निष्कर्ष से हम पूर्णतः सहमत हैं और हमारे निष्कर्ष में प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र तहत आदेश 6 नियम 17 में ऐसा कोई नवीन तथ्य नहीं है जो कि पहले से प्रार्थीगण की जानकारी में नहीं रहा हो और प्रस्तावित संशोधन इस सीमा तक आवश्यक भी नहीं है कि उसके बिना पक्षकारों के मध्य विवाद के वास्तविक बिन्दुओं का विशिचयन ही सम्भव नहीं हों। प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से प्रार्थीगण जो तथ्य रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं, वह तथ्य पहले से ही जवाबदावे के साथ प्रस्तुत प्रतिदावा के माध्यम से रिकॉर्ड पर लाया जा चुका है और इसी के आधार पर तनकी संख्या 2 बनायी जा चुकी है। तनकी संख्या 2 को सिद्ध करने का अवसर प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण को दावे में सुनवाई के दौरान उपलब्ध रहेगा। अतः निगरानी अधीन आदेश दिनांक 15-07-2011 पारित करते समय विद्वान उपखण्ड अधिकारी किशनगढ द्वारा ऐसी कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक भूल नहीं की है जिसके आधार पर उक्त आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके। हमारे निष्कर्ष में हस्तगत निगरानी प्रार्थनापत्र सारहीन होने से सुनवाई हेतु स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है और एडमिशन के स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

11. परिणामतः प्रार्थीगण की तरफ से धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत हस्तगत निगरानी प्रार्थनापत्र को एडमिशन के स्तर पर ही खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायलय में सुनाया गया।


23/8/11
(मूलचन्द मीणा)
सदस्य